



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 889) पटना, वृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2021

एस0ओ0 159 दिनांक 28 अक्टूबर 2021—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2, 1974) की धारा-9 की उपधारा (1) तथा (3) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अधिनियम 33, 1989) की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में, बिहार राज्यपाल ने -

(i) नालन्दा, रोहतास, नवादा, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन दायर मामलों के त्वरित विचारण के लिए निम्नांकित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) के रूप में अभिहित करने की कृपा की है, जिसकी अधिकारिता संबंधित जिले की स्थानीय सीमाएँ होंगी:-

क्रम सं0	न्यायमंडल का नाम	मुख्यालय	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का नाम
1	नालन्दा	बिहारशरीफ	सुश्री प्रतिभा
2	रोहतास	सासाराम	सुश्री मौसमी सिंह
3	नवादा	नवादा	श्री संतोष कुमार तिवारी
4	सारण	छपरा	श्री नलिन कुमार पाण्डेय
5	गोपालगंज	गोपालगंज	श्री दिनेश कुमार
6	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	सुश्री संगीता
7	वैशाली	हाजीपुर	श्री अनुज कुमार जैन
8	दरभंगा	दरभंगा	श्री हमबीर सिंह बघेल
9	समस्तीपुर	समस्तीपुर	श्री प्रणव कुमार झा

(ii) एतद् द्वारा उपर्युक्त अंकित अनन्य विशेष न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश [अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम] के न्यायालय के रूप में अभिहित किए जाते हैं।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन उद्भूतवादों के विचारण से संबंधित दिनांक 10.02.1995 को अधिसूचित विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना, उपर्युक्त जिलों के मामले में, एतद् द्वारा उपर्युक्त हद तक संशोधित की जाती है।

(iv) उपर्युक्त 9 (नौ) जिलों में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के समक्ष लंबित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित सभी मामले/विचारण तदनुसार उपर्युक्त संबंधित अभिहित अनन्य विशेष न्यायालयों में अंतरित हो जायेंगे।

(v) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट0-01/2014/5816/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

फूल चन्द्र चौधरी,

सरकार के सचिव।

27 अक्टूबर 2021

एस0ओ0 159 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट0-01/2014/5816/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

फूल चन्द्र चौधरी,

सरकार के सचिव।

The 27th October 2021

S. O.159 dated 28th October 2021—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section-9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974) and section-14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act 33 of 1989), in modification of all the previous orders and notifications issued on this subject, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, the Governor of Bihar is pleased to -

(i) Designate the Courts of the following Additional District and Sessions Judge as Exclusive Special Court under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in the districts of Nalanda, Rohtas, Nawada, Saran, Gopalganj, East Champaran, Vaishali, Darbhanga, and Samastipur for speedy trial of cases filed under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the Jurisdiction of which will be the respective local limits of the concerned district:-

Sl. No.	Name of Judgeship	Headquarters	Name of Addl. District and Sessions Judge
1	Nalanda	Biharsharif	Ms. Pratibha
2	Rohtas	Sasaram	Ms. Mausami Singh
3	Nawada	Nawada	Sri Santosh Kumar Tiwary
4	Saran	Chapra	Sri Nalin Kumar Pandey
5	Gopalganj	Gopalganj	Sri Dinesh Kumar
6	East Champaran	Motihari	Ms. Sangeeta
7	Vaishali	Hajipur	Sri Anuj Kumar Jain
8	Darbhanga	Darbhanga	Sri Hambir Singh Baghel
9	Samastipur	Samastipur	Sri Pranav Kumar Jha

(ii) The aforesaid Exclusive Special Courts are hereby designated as Courts of Additional District and Session Judge [Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act].

(iii) The Notification of Law Department, Bihar, Patna, notified on 10.02.1995, with respect to trials of the cases arising under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 for the above said districts is accordingly hereby amended to the extent indicated above.

(iv) All Such cases/trials relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, pending before the courts of 1st Additional and Sessions Judge in the above said nine districts, would accordingly stand transferred to the concerned aforesaid designated Exclusive Special Courts.

(v) This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(File No.-A/Act-01/2014/5816/J)
By Order of the Governor of Bihar,
PHOOL CHANDRA CHOUDHARY,
Secretary to Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 889-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>